राजस्व अपील संख्या 59/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. ईश्वरसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत निवासी–जसोल तहसील पचपदरा बाडमेर। 2. हुकमाराम पुत्र उकाराम माली निवासी–जसोल तहसील पचपदरा बाडमेर। 3. देवीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित निवासी–बालोतरा तहसील पचपदरा, बाडमेर।		1. निरज कुमार पुत्र नवरतन ओसवाल निवासी बालोतरा 2. कान्तादेवी पत्नी अशोककुमार पुत्रवधु गणेश कुमार ओसवाल 3. संतोषदेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार पुत्रवधु गणेश कुमार ओसवाल निवासी–बालोतरा तहसील पचपदरा बाडमेर। प्राफार्मा पक्षकार 4. नारायण पुत्र कचरा प्रजापत 5. शंकर पुत्र कचरा प्रजापत 6. द्वारकादास पुत्र प्रभूदास प्रजापत 7. भगवानदान पुत्र प्रभूदास प्रजापत 8. सुरेशकुमार पुत्र प्रभूदास प्रजापत निवासी–जसोल तहसील पचपदरा बाडमेर। 9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा बाडमेर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.05.2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र 14/2018 अनवान निरजकुमार वगैराह बनाम नारायण वगैराह में उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री अम्बालाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 4 ता 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 26 दिसम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मौजा जसोल के ख0सं0 632 रकबा 6.14 बीघा, ख0सं0 633 रकबा 17.09 बीघा भूमि रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि एवं पडौसी खातेदारान की खातेदारी भूमि के मध्य सीमा विवाद होने के कारण उनकी उक्त खसरान भूमि की पैमाइश व नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित भूमि की पैमाइश व नेखमबन्दी करने के आदेश दिनांक 17.5.2018 को पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं था। वर्तमान मामले में धारा 128 के तहत पत्थरगढी बाबत आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया और पत्रावली को कैम्प–जसोल में रखी जाकर बिना सुनवाई के निर्णित कर दिया जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है क्योंकि पत्रावली दर्ज होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश जारी होने के उपरान्त तामीली हेतु लम्बित थी। इसी दौरान पत्रावली को बिना तामीली के ही कैम्प कोर्ट में रख निर्णित कर दिया। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था वो उक्त वर्णित खसरान भूमि के खातेदार नहीं है और उनके नाम जमाबन्दी में किये गये इन्द्राजों को नियमित राजस्व वाद में चुनौती दी हुई है तथा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है, रेस्पो0 के द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पैमाइश रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अविवादित पैमाइश रिपोर्ट के बिना पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को विधिक रूप से अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में पारित अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 633 व 631 के बीच उत्तर की तरफ पक्की दीवार वर्षो पूर्व की बनी हुई है जो रेस्पो0 के पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी तो ऐसे में सीमा सम्बन्धी कोई विवाद ही नहीं था, इन तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पो0 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मौजा जसोल के ख0सं0 632 रकबा 6.14 बीघा, ख0सं0 633 रकबा 17.09 बीघा भूमि रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा रेस्पो0 संख्या 4 ता 8 एवं अपीलान्टस उनके पडौसी खेत के खातेदार है। इन व्यक्तियों के द्वारा उनके खेत के पडौसी होने के कारण अक्सर सेढा को लेकर विवाद करते रहते है एवं उनके मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इसके कारण से अपनी खातेदारी भूमि खसरान का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी पैमाइश व नेखमबन्दी करवाना चाहते है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पो0 संख्या 4 ता 8 उपस्थित हुए अन्य अप्रार्थीगण/ अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपस्थित दोनों पक्षकारान ने आपसी सहमति से सीमाज्ञान कराने का जाहिर करने पर पत्रावली न्याय आपके द्वार ग्राम जसोल में पेश होने पर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि की पैमाइश व नेखमबन्दी करने हेतु भूमापककर्ता को नियुक्त करते हुए

निर्देश दिये कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 को पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुकूल उचित है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा उनके खेत खसरान की सीमा में पक्की दीवार बना दी गई थी जिसे अब वह रेस्पोडेन्टस के पूर्वजों द्वारा निर्मित की जाना बता रहे है जो तथ्य झूठे प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दू को आधार मानकर पैमाइश व नेखमबन्दी करने के आदेश पारित किये गये है जो न्यायोचित होने से यथावत बहाल रखा जावें एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु म्याद प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस की विधिवत सुनवाई के बगैर आदेश पारित किया है। प्रकरण में सीमाज्ञान का भी अभाव पाया गया है तथा सीमा विवाद सम्बन्धी विश्वसनीय तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम सेटलमेन्ट के पुख्ता बिन्दुओं से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान/पैमाइश की कार्यवाही करें। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा विधिवत पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित करें। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर